न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 310/2016

निर्णय दिनांक :– 22.05.2024

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. भंवरलाल पुत्र काना जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)
2. जगदीश पुत्र काना जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)
3. भूरी पुत्री काना जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)
4. मनभर पुत्री काना जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)
5. भैरू पुत्र कंवरिया जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)

बनाम

1. मोरपाल पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)
2. श्रीलाल पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)
3. देवकरण पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)
4. कंचन पुत्री किशनलाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)
5. प्रेम पुत्री किशनलाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)
6. तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–

श्री भगवान सिंह सोलंकी
श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री महावीर सिंह राडोड़
श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा
अधिवक्ता अप्रार्थीगण
संख्या 1 ता 5
तहसीलदार दूनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से पेश है – यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात खाता नम्बर 243 खसरा नम्बर 913 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 914 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 919 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 921 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 959 रकबा 0.70 है0, खसरा नम्बर 960 रकबा 0.72 है0, खसरा नम्बर 961 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 962 रकबा 0.19 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.98 है0 वाके तनग्राम घाड़ पटवार हल्का घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण अपनी उक्त वर्णित भूमियों में आने–जाने हेतु अपने पूर्वजो के समय से अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात हाल खाता संख्या 318 खसरा नम्बर 970 रकबा 0.53 है0 व राजकीय सिवायचक भूमि आराजी खसरा नम्बर 2562/1486, खसरा नम्बर 2563/1485 जो वाके तनग्राम घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है, में से होकर आते–जाते रहे हैं और काश्तकारी कार्य करते चले आ रहे हैं। लेकिन विधिवत् रूप से राजस्व रिकार्ड में रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को अपनी भूमि की काश्तकारी कार्य करने में काफी परेशानियो का सामना करना पड़ता है। इस कारण प्रार्थीगण को उक्त अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 या राजकीय सिवायचक भूमि में से रास्ता दिलवाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 5 ने अपनी खातेदारी की भूमियो से निकलने वाले रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है और प्रार्थीगण को रास्ते से निकलने से मना कर दिया। प्रार्थीगण अपनी भूमिया में काश्त करने हेतु जाते है तो अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 लड़ाई–झगड़ा करने पर आमादा हो जाते हैं। इस कारण प्रार्थीगण को उक्त वर्णित भूमियो में से रास्ता दिलवाना आवश्यक है। सहखातेदार खानी की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस पहले से रिकॉर्ड पर है। प्रार्थीगण को आराजीयात माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है। प्रार्थीगण रास्ते की नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाने के लिए तैयार है । अतः प्रार्थना पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने–जाने उपयोग–उपभोग करने हेतु उक्त अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 की भूमि या राजकीय सिवायचक भूमि में से नियमानुसार रास्ता दिलवाने के आदेश फरमावे तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते का इन्द्राज किये जाने की आज्ञा फरनावे ।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर सिंह राठोड़ व जितेन्द्र शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण की ओर से प्रत्रावली में जवाब प्रा. पत्र पेश नहीं किया गया है।

अप्रार्थी नं. 6 तहसीलदार दूनी द्वारा दिनांक 04.08.17 को रिपोर्ट पेश की गई। मुताबिक रिपोर्ट, प्रार्थी को आराजी पर पहुंचने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंतिक है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की लम्बाई 120 मीटर एवं

चौडाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 480 वर्गमीटर है। ख. नं. 913, 914, 919, 921, 959, 960 961 962 में जाने के लिये ख. नं. 970 रकबा 0.53 है0 है, जो अप्रार्थीगण मोरपाल, श्रीलाल देवकरण पि0 किशनलाल वगैरह की खातेदारी में दर्ज है, जिसमे से होकर प्रार्थीगण अपने खेत कुओं में आते जाते हैं। अप्रार्थीगण अपने खातेदारी आराजी 970 में बिजली ग्रेड की साईड में सहमति में तीन मीटर रास्ता देने हेतु तैयार है। प्रार्थी द्वारा ख. नं. 970 में से रास्ता चाहता है, जिसे ट्रेस नकल में लाल स्याही से अंकित कर दिया गया है भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर 7687/– रूपये प्रति एअर है जिसकी दुगुनी प्रतिकर राशि 15374/ रुपये होती है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई सरंचना नहीं है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा रिपोर्ट का अवलोकन कर तहसीलदार दूनी को पुनः रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया, जिसकी पालना में तहसीलदार दूनी द्वारा 10.05.18 को रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिसमें उल्लेख किया कि प्रार्थी द्वारा अपने कुंए तक जाने के लिए रास्ते की चौड़ाई प्रार्थना पत्र में लगभग 14 फीट की मांग की गई है जिसको मौका अनुसार खसरा नम्बर साबिक 1486/2479 हाल ख. नं. 970 जो कि मोरपाल, श्रीलाल वगै. जाति गुर्जर आदि की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है, जिसमें से रास्ता 625 वर्ग मीटर है एवं 1435 साबिक हाल ख. नं. 912 जो सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है, जिसमें से 160 वर्ग मीटर रास्ता है। कुल 785 वर्ग मीटर तक कुंए तक जाने के रास्ते का क्षैत्रफल है। नियमानुसार डीएलसी जमा कर प्रार्थी का रास्ता दिया जाना है।

पुनः न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की विस्तृत रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस प्रार्थी के खेत सहित बनाकर पेश करने बाबत तहसीलदार दूनी को आदेश दिये गये, जिसकी पालना में तहसीलदार दूनी द्वारा 05.08.20 को पुनः मौके के नजरी नक्शे की रिपोर्ट पेश की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार पूर्व में खसरा नम्बर 912 में से 28 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई तथा ख. नं. 970 में सें 128 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई कुल 624 वर्ग मीटर का रास्ता प्रस्तावित किया गया था किन्तु वादीगण ख. नं. 970 में 270 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई का रास्ता चाहते है। वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय से चाहा गया रास्ता प्रतिवादीगण देने हेतु सहमत नहीं है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

प्रार्थी भंवरलाल मय अधिवक्ता उपस्थित व अप्रार्थीगण मय अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रार्थी को स्वयं की आराजी में पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। प्रार्थी निरन्तर चलन के रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में कीमतन दर्ज करवाना चाहता है। अतः रिपोर्ट दिनांक 05.08.2020 के साथ संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 12.03.20 में वर्तमान में प्रार्थीगण जहां से आते जाते हे, उसके अनुसार ही रास्ता दिया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने बहस कथन किया कि 251 ए में निकटतम से निकटतम से रास्ता देने का प्रावधान है। अतः उक्त नजरी नक्शे के अनुसार लघुतम दूरी का रास्ता दे दिया जावे तो कोई आपति नहीं है।

तहसीलदार दूनी द्वारा पत्रावली में प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 05.08.20 अनुसार लघुतम दूरी का रास्ता दिया जाना दोराने बहस उचित बताया।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। उपस्थित पक्षकारान को समझाईश की गई । प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के अनुसार ख. नं. 913, 914, 919, 921, 959, 960, 961, 962 कुल किता 08 रकबा 1.98 है0 प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण व अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा दोराने बहस अपने खातेदारी के ख. नं. 913 व 914 के लिए रास्ते का निवेदन किया है। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की विवादित आराजी में आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंन्तिक है और रास्ते में अन्य कोई संरचना दीवार, पेड़ इत्यादि नहीं है।

पत्रावली में संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी में जाने का कोई रास्ता नहीं है लेकिन प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण की खातेदारी से प्रचलन के रास्ते से रास्ता चाहते है, जिससे अप्रार्थीगण के ख. नं. 970 दो भागो में विभक्त होता है तथा रास्ते की दूरी भी बढ जाती है तथा अप्रार्थीगण भी रास्ता देने हेतु सहमत नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में भी लघु से लघुतम रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए में वर्णित प्रावधान अनुसार ही स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण के प्रा.पत्र मे वर्णित खसरा नम्बर 913 में पहुंच हेतु उसके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 05.08.2020 के साथ संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 12.03.20 में वर्णित लघु से लघुतम दूरी का प्रस्तावित रास्ता ख. नं. 912 में चौडाई 4 मीटर एवं लम्बाई 28 मीटर अर्थात 112 वर्ग मीटर, ख. नं. 970 की मेड के पूर्वी भाग के लगता हुआ लम्बाई 128 मीटर व चौडाई 4 मीटर अर्थात 512 वर्ग मीटर, कुल क्षैत्रफल 624 वर्ग मीटर भूमि का वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि से पुनः गणना कर, जमा करे और उक्तानुसार अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर, नक्शा ट्रेस में तरमीम करे। तत्पश्चात यह राशि सम्बन्धित खातेदार अप्रार्थीगण को उनके हिस्से अनुसार प्रदान करे ।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 22.05.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली